फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– नारायण | विपक्षी :– रूपा

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 21/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद वना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद वना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सालेड़ा पटवार हल्का सालेड़ा तहसील कानोड की खाता संख्या नया 187 की खसरा संख्या 318 [illegible] 0.4900 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी [illegible] जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि [illegible] पक्षकारान की उपस्थिति पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.31 12:29:58 IST
Reason: SelfAttested